उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग–2

संख्या : 20 / 1/95-का-2 / 1995

लखनऊ, दिनांक 10 जुलाई, 1995

दिनांक 10 जुलाई, 1995 को प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिर्पोटों के विरुद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली, 1995" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2–समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

3–समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4–सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।

5–सचिव, विधान सभा / विधान परिषद् उ0प्र0।

6–सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

7–सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

जमील अहमद,

विशेष कार्याधिकारी।

क्रम-संख्या–500 (अ)

रजि०नं०–एल०डब्लू० / एन० / पी० 561

लाइसेन्स / नं०डब्लू०पी०–41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, सोमवार, 10 जुलाई, 1995

आषाढ़ 19, 1917 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग–2

संख्या : 20 / 1/95-का-2 / 1995

लखनऊ, दिनांक 10 जुलाई, 1995

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि०–80

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के विरुद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली, 1995

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना।

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के विरुद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली, 1995 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) यह समस्त सरकारी सेवकों पर लागू होगी।

अध्यारोही प्रभाव

2—यह नियमावली, किन्हीं अन्य नियमों या आदेशों में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, प्रभावी होगी।

परिभाषाएं

3—जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, पद—

(क) "समुचित प्राधिकारी" का तात्पर्य उस व्यक्ति, जो सरकार द्वारा, यथास्थिति, प्रतिवेदक प्राधिकारी, समीक्षक प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिये सशक्त हो, से है;

(ख) "संविधान" का तात्पर्य "भारत का संविधान" से है;

(ग) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(घ) "सरकारी सेवक" का तात्पर्य उस व्यक्ति, जो उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन किसी पद से भिन्न संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल की नियम बनाने की शक्ति के अधीन किसी पद पर कार्य कर रहा हो, से है;

(ङ) "रिपोर्ट" का तात्पर्य किसी सरकारी सेवक के कार्य, आचरण और सत्य—निष्ठा के संबंध में किसी समुचित प्राधिकारी, जिसने उस सरकारी सेवक का काम निरन्तर तीन मास से अन्यून अवधि तक देखा हो, द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिये अभिलिखित वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट से है;

(च) "सचिवालय" का तात्पर्य सरकार के सचिवालय से है;

(छ) "वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली अप्रैल से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

प्रतिकूल रिपोर्ट की ससूचना और प्रत्यावेदन के निपटाने के लिये प्रक्रिया

4—(1) जहां किसी सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में रिपोर्ट पूर्णतः या अंशतः प्रतिकूल या आलोचनात्मक हो, जिसे आगे प्रतिकूल रिपोर्ट कहा गया है, तो सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी को स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा या किसी अधिकारी द्वारा, जो प्रतिवेदक/प्राधिकारी से निम्न पंक्ति का न हो और स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त नाम निर्दिष्ट हो, रिपोर्ट को अभिलिखित किये जाने के दिनांक से 45 दिन की अवधि के भीतर सम्पूर्ण रिपोर्ट लिखित रूप में संसूचित की जायेगी और इस आशय का एक प्रमाण—पत्र रिपोर्ट में अभिलिखित किया जायेगा।

(2) सरकारी कर्मचारी, उप नियम (1) के अधीन प्रतिकूल रिपोर्ट की संसूचना के दिनांक से 45 दिन की अवधि के भीतर, इस प्रकार संसूचित प्रतिकूल रिपोर्ट के विरुद्ध प्रत्यावेदन लिखित में सीधे और उचित माध्यम से स्वीकर्ता प्राधिकारी से एक पंक्ति ऊपर के प्राधिकारी को, जिसे आगे सक्षम प्राधिकारी कहा गया है, और यदि कोई सक्षम प्राधिकारी न हो तो स्वीकर्ता प्राधिकारी को ही कर सकता है।

परन्तु यदि, यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि सरकारी सेवक के पास उक्त अवधि के भीतर प्रत्यावेदन प्रस्तुत न कर सकने के लिये पर्याप्त कारण हैं तो वह ऐसे प्रत्यावेदन की प्रस्तुति के लिये 45 दिन की अग्रतर अवधि की अनुमति दे सकता है।

(3) यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी उपनियम (2) के अधीन प्रत्यावेदन की प्राप्ति के दिनांक से एक सप्ताह से अनधिक अवधि के भीतर प्रत्यावेदन को समुचित प्राधिकारी को, जिसने प्रतिकूल रिपोर्ट अभिलिखित की है, उसकी टीका-टिप्पणी के लिये भेजेगा जो प्रत्यावेदन की प्राप्ति के दिनांक से 45 दिन से अनधिक अवधि के भीतर अपनी टीका—टिप्पणी, यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी को भेजेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी टीका-टिप्पणी अपेक्षित नहीं होगी, यदि समुचित प्राधिकारी अपनी टीका-टिप्पणी भेजने से पहले सेवा मे न रह गया हो या सेवानिवृत्त हो गया हो या निलम्बनाधीन हो।

(4) यथास्थिति सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी उप नियम (3) में विनिर्दिष्ट 45 दिन की समाप्ति के दिनांक से 120 दिन की अवधि के भीतर समुचित प्राधिकारी की टीका-टिप्पणी के साथ प्रत्यावेदन पर विचार करेगा और यदि कोई टीका-टिप्पणी प्राप्त न हुई तो टीका-टिप्पणी की प्रतीक्षा किये बिना–

(क) प्रत्यावेदन को निरस्त करते हुए; या

(ख) प्रतिकूल रिपोर्ट को पूर्णतः या अंशतः, जैसा वह उचित समझे, निकालते हुए, सकारण आदेश पारित करेगा।

(5) जहां सक्षम प्राधिकारी, उप नियम (4) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी प्रशासनिक कारण से प्रत्यावेदन का निपटारा करने में असमर्थ हो तो वह इस संबंध मे अपने उच्चतर प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा जो विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रत्यावेदन के निपटारे को सुनिश्चित करने के लिये ऐसे आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझे।

(6) उप नियम (4) के अधीन पारित आदेश सम्बन्धित सरकारी सेवक को लिखित रूप से संसूचित किया जायगा।

(7) जहां उप नियम (4) के अधीन प्रतिकूल रिपोर्ट निकालने का आदेश पारित किया जाय, वहां यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी इस प्रकार निकाली गई रिपोर्ट को विलुप्त कर देगा।

(8) उप नियम (4) के अधीन पारित आदेश अन्तिम होगा।

(9) जहां–

(एक) किसी प्रतिकूल रिपोर्ट की संसूचना,

(दो) किसी प्रतिकूल रिपोर्ट के विरुद्ध प्रत्यावेदन,

(तीन) समुचित प्राधिकारी को उसकी टीका–टिप्पणी के लिये प्रत्यावेदन के भेजे जाने,

(चार) समुचित प्राधिकारी की टीका–टिप्पणी, या

(पाच) किसी प्रतिकूल रिपोर्ट के विरुद्ध प्रत्यावेदन के निपटारे का कोई मामला इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को लम्बित हो वहां ऐसे मामलों पर इस नियम के अधीन उनके लिये विहित अवधि के भीतर विचार किया जायेगा और उसका निपटारा किया जाएगा।

स्पष्टीकरण:–इस उप नियम में विनिर्दिष्ट किसी मामले के लिये इस नियम के अधीन विहित अवधि की संगणना करने में इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को व्यतीत हो चुकी अवधि की गणना नहीं की जाएगी।

रिपोर्ट का प्रतिकूल न समझा जाना।

5–फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड दो से चार में दिये गये उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल्स के नियम-56 में यथा उपबन्धित के सिवाय, जहां कोई प्रतिकूल रिपोर्ट संसूचित की जाती है या जहां किसी प्रतिकूल रिपोर्ट के विरुद्ध कोई प्रत्यावेदन नियम–4 के अनुसार नही निपटाया गया है वहां ऐसी रिपोर्ट को, संबंधित सरकारी सेवक की पदोन्नति, दक्षता रोक पार करने और अन्य सेवा संबंधी मामलो के प्रयोजनार्थ प्रतिकूल नहीं समझा जायगा।

रजिस्टर का रखा रखाव

6–यथास्थिति सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी या इस संबंध में उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अन्य प्राधिकारी ऐसे प्रारूप में, जैसा समय–समय पर सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, एक रजिस्टर रखेगा और उसमें समुचित प्रविष्टियां करेगा।

शास्ति

7–(1) जहां संबंधित सरकारी सेवक को किसी प्रतिकूल रिपोर्ट को संसूचित करने के लिये विधिक रूप से बाध्य कोई अधिकारी या इस नियमावली के अधीन किसी प्रतिकूल रिपोर्ट के विरुद्ध किसी प्रत्यावेदन को निपटाने में विधिक रूप से सक्षम कोई अधिकारी, उसके लिये विहित अवधि के भीतर ऐसा करने में जानबूझ कर विफल रहता है, वहां वह कदाचार का दोषी होगा और उस पर लागू दण्ड नियमों के अनुसार दण्डनीय होगा।

(2) सचिवालय का अनुभाग अधिकारी और सचिवालय से भिन्न किसी कार्यालय का कोई प्रभारी अधिकारी या पदाधारी, प्रत्यावेदन को, उस पर समुचित प्राधिकारी की टीका-टिप्पणी, और अन्य सुसंगत अभिलेखों को, यदि कोई हों, उनकी प्राप्ति के तुरन्त पश्चात्, यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी के समक्ष रखेगा। इस निमित्त, उसकी तरफ से जानबूझ कर किया गया कोई व्यतिक्रम कदाचार होगा और वह उस पर लागू दण्ड नियमों के अनुसार दण्डनीय होगा।

व्यावृत्ति

8—नियम-4 के उप नियम (9) में विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व की गई कोई कार्यवाही या किया गया कोई कृत्य इस नियमावली के तत्समान उपबन्धों के अधीन की गई कार्यवाही या किया गया कृत्य समझा जायेगा।

आज्ञा से,
राम कुमार,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 20/1/95-ka-2/1995, dated July 10, 1995.

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
PERSONNEL SECTION-2

No. 20/1/95-ka-2/1995,
Dated Lucknow, July 10, 1995

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

In excercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules;

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT SERVANTS (DISPOSAL OF REPRESENTATION AGAINST ADVERSE ANNUAL CONFIDENTIAL REPORTS AND ALLIED MATTERS) RULES, 1995

Short title, commencement and application

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Government Servants (disposal of representation against adverse Annual Confidential Reports and allied matters) Rules, 1995.

(2) They shall come into force atonce.

(3) They shall apply to all Government Servants.

Over-riding effect

2. These rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other rules or orders.

Definitions

3. Unless there is anything repugnant in the subject or context, the expression—

(a) 'appropriate authority' means a person who is empowered by the Government to act as reporting authority, reviewing authority or accepting authority, reviewing authority or accepting authority, as the case may be;

(b) "Constitution" means the Constitution of India;

(c) "Government" means the State Government of Uttar Pradesh;

(d) "Government Servant" means a person working on a post under the rule-making powers of the Governor under the proviso to Article 309 of Constitution other than a post under control of the High Court;

(e) "report" means annual confidential report regarding the work, conduct and integrity of a Government Servant for each year recorded by an appropriate authority, who has seen the performance of the Government Servant for not less than a continuous period of three months;

(f) "Secretariat" means the Secretariat of the Government;

(g) "Year" means a period of twelve months commencing from the first day of April of a calendar year;

Communication of adverse report and procedure for disposal of representation

4. (1) Where a report in respect of a Government Servant is adverse or critical, wholly or in part, hereinafter referred to as adverse report, the whole of the report shall be communicated in writing to the Government Servant concerned by the accepting authority or by an officer not below the rank of reporting authority nominated in this behalf by the accepting authority, within a period of 45 days from the date of recording the report and a certificate to this effect shall be recorded in the report.

(2) A Government Servant may, within a period of 45 days from the date of communication of adverse report under sub-rule (1), represent in writing directly and also through proper channel to the authority one rank above the accepting authority, hereinafter referred to as the competent authority, and if there is no competent authority, to the accepting authority itself, against the adverse report so communicated:

Provided that if the competent authority or the accepting authority, as the case may be, is satisfied that the Government Servant concerned had sufficient cause for not submitting the representation within the said period, he may allow a further period of 45 days for submission of such representation.

(3) The competent authority or accepting authority as the case may be, shall, within a period not exceeding one week from the date of receipt of the representation under sub-rule (2), transmit the representation to the appropriate authority, who has recorded the adverse report, for his comments, who shall, within a period not exceeding 45 days from the date of receipt of the representation, furnish his comments to the competent authority or the accepting authority, as the case may by—

Provided that no such comments shall be required if the appropriate authority has ceased to be in, or has retired from, the service or is under suspension before sending his comments.

(4) The competent authority or the accepting authority, as the case may be, shall, within a period of 120 days from the date of expiry of 45 days specified in sub-rule (3), consider the representation alongwith the comments of the appropriate authority, and if no comments have been received without waiting for the comments, and pass speaking orders—

(a) rejecting the representation; of

(b) expunging the adverse report wholly or partly as he considers proper.

(5) Where the competent athority due to any administrative reasons, is unable to dispose of the representation within the period specified in sub-rule (4), he shall report in this regard to his higher authority, who shall pass such orders as he considers proper for ensuring disposal of the representation within the specified period.

(6) An order passed under sub-rule (4) shall be communicated in writing to the Government servant concerned.

(7) Where an order expunging the adverse report is passed under sub-rule (4), the competent authority or the accepting authority, as the case may be, shall *omit* the report so expunged.

(8) The order passed under sub-rule (4) shall be final.

(9) Where any matter for—

(i) communication of an adverse report;

(ii) representation against an adverse report;

(iii) transmission of representation to the appropriate authority for his comments;

(iv) comments of the appropriate authority; or

(v) disposal of representation against an adverse report;

is pending on the date of the commencement of these rules, such matters shall be dealt with and disposed of within the period prescribed therefor under this rule.

Explanation :–In computing the period prescribed under this rule for any matters specified in this sub-rule, the period already expired on the date of the commencement of these rules shall not be into account.

Report not to be treated adverse

5. Except as provided in rule 56 of the Uttar Pradesh Fundamental Rules contained in Financial Handbook Volume II, Parts II to IV, Where an adverse report is not communicated or a representation against an adverse report has not been disposed of in accordance with rule 4, such report shall not be treated adverse for the purpose of promotion, crossing of Efficiency Bar and other service matters of the Government Servant concerned.

Maintenance of register

6. The competent authority or accepting authority, as the case may be, or any other authority nominated by him in this behalf, shall maintain a register in such form as may be specified by the government from time to time and shall make appropriate entries therein.

Penality

7. (1) Where an officer legally bound to communicate an adverse report to the Government servant concerned or where an officer legally competent to dispose of representation against an adverse report under these rules, wilfully fails to do so within the period prescribed therefor, shall be guilty of misconduct and be punishable in accordance with the punishment rules applicable to him.

(2) A Section officer in the Secretariat and an officer or official incharge of an officer, other than the Secretariat, shall place the representation, comments of the appropriate authority thereon and other relevant records if any, before the competent authority or the accepting authority, as the case may be, immediatly after their receipt. Any wilfull default, in this behalf, on his part shall be a misconduct and he shall be punishable in accordance with the punishment rules applicable to him.

Savings

8. Any action taken or anything done in respect of any matter specified in sub-rule (9) of rule 4 before the commencement of these rules, shall be deemed to have been taken or done under the corresponding provisions of these rules.

By order,
RAM KUMAR,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 27 सा० नियुक्ति–23-3-2010–(2622)–1,000 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।